न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 234 / 2023 अपील (GCMS 2023/262)
पंजीयन दिनांक– 13 / 09 / 2023
निर्णय दिनांक– 14 / 05 / 2024

1. मैसर्स वेलप्लान इन्फ्रास्टेक्चर प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री त्रिलोकचन्द पुत्र मोहनलाल छाबडा, निवासी शास्त्री नगर, भीलवाडा।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती नोनन्द कंवर पुत्री उम्मेदसिंह पत्नि श्यामसिंह राठौड़, निवासी 3 / 15 साकेत नगर, ब्यावर, जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
2. श्रीमती हंसु कंवर पुत्री उम्मेदसिंह पत्नि रघुवीर सिंह राठौड़, निवासी 251, हनुवंत ए गली नम्बर 1 मटकी चौराहा के पास बी. जे. एस. कॉलोनी, जोधपुर, जिला जोधपुर।
3. श्रीमती कृष्णा कंवर पुत्री उम्मेदसिंह पत्नि गोपाल सिंह, निवासी डी / 3 कुंए के सामने वाली गली, 10 दाता नगर जटिया हिल्स, रेम्बल रोड़, अजमेर, जिला अजमेर।
4. श्री तेजसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री गिरवरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, निवासी आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री जितेन्द्र जैन — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध, उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा, जिला भीलवाडा के प्रकरण संख्या 02/2020 अपील निर्णय दिनांक 04.07.2022

निर्णय

दिनांक 14/05/2024

1. अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा, जिला भीलवाडा के प्रकरण संख्या 02/2020 अपील निर्णय दिनांक 04.07.2022 के विरूद्ध दिनांक 18.07.2022 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 30 राजस्व कोर्ट मेन्युअल मय शपथ पत्र के साथ न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में पेश की गई। राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर जिला भीलवाडा उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, जो कि दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला भीलवाडा क्षेत्र की स्थानांतरित हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को दर्ज की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के यहां एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक अपील पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम आटूण, पटवार हल्का आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 के खाता संख्या 23 के अनुसार आराजी संख्या 1312, 1315, 1316, 2529/1316, 2591/1298, 2621/1318 कुल किता 6 कुल रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार उम्मेदसिंह पिता जोधसिंह राजपूत सा. देह के नाम पर दर्ज थी, खातेदार उम्मेदसिंह पिता जोधसिंह की

मृत्यु दिनांक 07.02.2002 को होने के बाद पटवारी द्वारा विरासत का नामांतरकरण संख्या 1228 भरा गया, जिसमें पटवारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उम्मेदसिंह के पुत्र तेजसिंह, गिरवरसिंह, नरेन्द्रसिंह, पत्नि पारसकंवर, पुत्रियां नोनन्द कंवर, हंसु कंवर एवं कृष्णा कंवर को वारिसान माना जाकर नामांतरकरण के कॉलम संख्या 09 में तेजसिंह, गिरवरसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता उम्मेदसिंह, पारसकंवर पत्नि उम्मेदसिंह, नोनन्दकंवर, हंसुकंवर, कृष्णाकंवर पुत्रियां अंकित किया, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त नामांतरकरण संख्या 1228 को पटवारी हल्का आटूण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, आटूण के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश अथवा जांच के दिनांक 06.01.2003 को वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/अपीलांट्स का नाम हटा, वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 के नाम पर स्वीकृत कर दिया। अतः उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, आटूण का निर्णय निरस्त होने लायक है। उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2020 अपील, अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 04.07.2022 से वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.07.2022 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–*"अपीलार्थीयागण की अपील स्वीकार की जाकर मौजा आटूण, तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा के नामांतरकरण संख्या 1228 निर्णय दिनांक 06.01.2003 को दोषपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाडा को आदेशित किया जाता कि वे स्वर्गीय उम्मेदसिंह पिता जोधसिंह राजपूत के विधिक वारिसान तेजसिंह,*

गिरवरसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्र होने से एवं श्रीमती नोनन्द कंवर पुत्री उम्मेदसिंह राजपुत पत्नि श्यामसिंह राठौड़, निवासी आटूण हाल मुकाम 3/15 साकेतनगर, ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान, श्रीमती हंसुकंवर उर्फ हर्षकंवर पुत्री उम्मेदसिंह राजपुत पत्नि रघुवीरसिंह राठौड़, निवासी आटूण हाल मुकाम 251 हनुवंत–ए गली नम्बर 01 मटकी चौराहा के पास बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर राजस्थान श्रीमती कृष्णाकंवर पुत्री उम्मेदसिंह राजपुत पत्नि गोपालसिंह, निवासी आटूण हाल मुकाम डी/3, कुएं के सामने वाली गली नम्बर 10 दातानगर, जटिया हिल्स, रेंबल रोड़, अजमेर राजस्थान पुत्रियां होने से इनके नाम राजस्व रेकार्ड में विरासत से खाता स्वीकृत संबंधी नामांतरकरण की कार्यवाही करे।"

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र जैन उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 7 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.05.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया है, जबकि नामांतरकरण संख्या 1228 दिनांक 06.01.2003 के पश्चात उक्त भूमि का बेचान कई बार हो चुका है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2010, दिनांक 08.04.2010 एवं दिनांक 04.06.2010 को क्रय कर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया है तथा उक्त विक्रय पत्र को रेस्पोडेंट श्रीमती नोनन्दकंवर, हंसुकंवर एवं कृष्णाकंवर द्वारा सिविल न्यायालय में निरस्त करने हेतु कोई वाद

पेश नहीं किया है, जबकि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने भाई एवं माता से मिलीभगत कर करीब 10 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की है एवं उक्त प्रकरण की जानकारी होने के पश्चात् अपीलांट पक्षकार बना है। उक्त प्रकरण में तेजसिंह व अन्य द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। नामांतरकरण संख्या 1228 दिनांक 06.01.2003 के पश्चात् वादग्रस्त भूमि के कई बार नामांतरकरण खुले है जिन्है रेस्पोडेंट द्वारा कोई चुनौती नही दी गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण एवं फौरा–फौरी कार्यवाही है, जिसके आधार पर स्वामित्व का निर्धारण नही किया जा सकता है, जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट द्वारा अलग–अलग पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया है। उत्तराधिकार का बिन्दु नामांतरकरण की फौरा–फौरी कार्यवाही से तय नही किया जा सकता है, इसके लिये सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दोनों पक्षों की साक्ष्य के पश्चात तय किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 कानून मयाद अधिनियम को भी स्वीकार कर लिया गया, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 19 वर्ष के विलम्ब के पश्चात बिना किसी ठोस कारण के अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट वर्ष 2010 से लगातार वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु सभी रेस्पोडेंट द्वारा षडयंत्रपूवर्क अपनी बहनों से नामांतरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जबकि वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति के बारे में सभी रेस्पोडेंट को संपूर्ण जानकारी है कि वादग्रस्त भूमि कितनी बार विक्रय हो चुकी है। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट के सभी अधिकार समाप्त हो चुके है एवं नामांतरकरण की अपील के जरिये रेस्पोडेंट को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है, क्योंकि

नामांतरकरण एक फौरा–फौरी कार्यवाही है, यदि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि में अपना कोई स्वत्व एवं अधिकार रखते है, तो उन्हें सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः AIR 1996 SC Page 2823, RRT 2003 (2) Page 753, RRT 2003 (1) Page 650, RBJ 2022 Page 370, RBJ 2021 Page 532, RBJ 2003 Page 467, RBJ 2004 Page 515, 521, 525, RBJ 2001 Page 370, 2019 (1) CJ [Civ] (sc), RRT 2022 (1) Page 165, RRT 2015 (1) Page 232, RRT 2021 (1) Page 391, RRT 2018-19 (Supp.) Page 72, RRT 2017 (1) Page 252, RRD 2000 DEC. Page 556 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नियमानुसार होकर उचित है। ट्रायलकोर्ट ने मौजूदा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हें सूचना दिये बिना व सुने बिना जो नामांतरकरण स्वीकृत किया गया था वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य था। उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में गलत अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले में धारा 5 मयाद अधिनियम पर भी विस्तृत बहस सुनी गयी। इस मामले में अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2003 में वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के पिता की होने से उक्त भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 का अधिकार निहित होने से भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को मेरिट पर सुना गया। उम्मेदसिंह पिता जोधसिंह के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 लीगल वारिस है, तथा प्रथम अपील में उपखण्ड अधिकारी द्वारा उन्हें उम्मेदसिंह का लीगल वारिस मानते हुए अपील स्वीकार की उसमें किसी प्रकार की कोई भूल नही की है। खाते से किसी को राईट टाईटल नहीं मिलते है। किसी भी पक्षकार को राईट

टाईटल व इन्ट्रेस्ट केवल सक्शेसन, ट्रंसफर व कम्पीटेंट कोर्ट के आदेश से मिलते है तथा इस मामले में टाईटल सक्शेसन से प्राप्त होते है। पिता के मरने पर उसके सभी वारिसान के हक अधिकार समान होते है। अगर हितबद्ध व्यक्ति को म्यूटेशन से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया है, तो वह म्यूटेशन एबइनिश्योवोइड होगा। इसी प्रकार यह भी तय किया गया है कि लड़को को लड़कियों का शेयर बेचने का कोई अधिकार नहीं है। लड़कियों के हिस्से तक ट्रांसफर, इनवेलिड होगा व परचेजर को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होगें। इसी प्रकार यह तय किया गया है कि अगर अवैधानिक आवंटन हो या नामांतरकरण हो उसमें मयाद को नही देखा जावेगा। कोई पिता 1956 के बाद मरता है तो लड़किया भी उस जायदाद में बराबर का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी होती है। द्वितीय अपील करने का भी अपीलांट को कोई अधिकार नही है, क्योंकि अगर जमीन लड़कों ने बेची है तो लड़को के हक व हिस्से में जितनी जमीन आती है उसी का वह मालिका काबिज हो सकेगा उसके अलावा अन्य जमीन का मालिका काबिज नही होगा। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2003 (1) Page 157, RRD 2002 Page 1, RRT 2020 (2) Page 998 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2022 की अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 18.07.2022 को पेश की गयी है, जो अंदर मयाद पेश की गई है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के यहां एक अपील

अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम आटूण, पटवार हल्का आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 के खाता संख्या 23 के अनुसार आराजी संख्या 1312, 1315, 1316, 2529/1316, 2591/1298, 2621/1318 कुल किता 6 कुल रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार उम्मेदसिंह पिता जोधसिंह राजपूत सा. देह के नाम पर दर्ज थी, खातेदार उम्मेदसिंह पिता जोधसिंह की मृत्यु दिनांक 07.02.2002 को होने के बाद पटवारी द्वारा विरासत का नामांतरकरण संख्या 1228 भरा गया, जिसमें पटवारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उम्मेदसिंह के पुत्र तेजसिंह, गिरवरसिंह, नरेन्द्रसिंह, पत्नि पारसकंवर, पुत्रियां नोनन्द कंवर, हंसु कंवर एवं कृष्णा कंवर को वारिसान माना जाकर नामांतरकरण के कॉलम संख्या 09 में तेजसिंह, गिरवरसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता उम्मेदसिंह, पारसकंवर पत्नि उम्मेदसिंह, नोनन्दकंवर, हंसुकंवर, कृष्णाकंवर पुत्रियां अंकित किया, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त नामांतरकरण संख्या 1228 को पटवारी हल्का आटूण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, आटूण के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश या जांच के बिना ही दिनांक 06.01.2003 को वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/अपीलांट्स का नाम हटा, वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 के नाम पर स्वीकृत कर दिया। अतः उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, आटूण को निर्णय निरस्त होने लायक है। उक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2020 अपील, अपील अंतर्गत धारा 755 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 04.07.2022 से वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाने से

व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि नामांतरकरण की फर्द की कॉलम संख्या 09 में पटवारी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 श्रीमती नोनन्दकंवर पुत्री उम्मेदसिंह पत्नि श्यामसिंह, निवासी आटूण, हाल निवासी 3/15 साकेतनगर, ब्यावर, जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर, श्रीमती हंसुकंवर पुत्री उम्मेदसिंह पत्नि रघुवीरसिंह, निवासी आटूण हाल निवासी 251 हनुवंत–ए गली नम्बर 1 मटकी चौराहा के पास बी. जे. एस. कॉलोनी, जोधपुर एवं श्रीमती कृष्णाकंवर पुत्री उम्मेदसिंह पत्नि गोपालसिंह, निवासी आटूण हाल निवासी बी–3 कुएं के सामने वाली गली नम्बर 10 दातानगर, जटिया हिल्स, रेम्बल रोड़, अजमेर तीनों का नाम अंकित होना वास्तविकता को समर्थन प्राप्त होता है तथा स्वर्गीय उम्मेदसिंह की पुत्रियां होने से वारिस होना भी प्रमाणित पाया जाता है, परंतु यह आश्चर्यजनक स्थिति है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत आटूण द्वारा उपरोक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 श्रीमती नोनन्दकंवर, श्रीमती हंसुकंवर एवं श्रीमती कृष्णाकंवर का नाम नामांतरकरण की फर्द की कॉलम संख्या 09 में अंकित होते हुए उन्हें क्योकर वारिस होना नहीं माना है, इसका न तो कोई कारण नामांतरकरण की फर्द की पुश्त पर पारित आदेशिका में नही दर्शाया है, न ही उन्हैं कोई सूचना पत्र जारी किया है तथा न ही किसी प्रकार की अपने स्तर पर कोई जांच ही की है।

- इस प्रकरण में हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के धारा–8 व 10 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है, जिसके अनुसारः–

Section 8 provides for the general rules of succession applicable to the devolution of the property of a male Hindu dying intestate.44 The property devolves firstly, on the heirs specified in Class I of the Schedule; if there is no heir of Class I,

then, on the heirs specified in Class II; if there is no heir in any of the two classes, on agnates and if there are no agnates, then upon the cognates of the deceased. Section 9 provides for the order of succession among the heirs in the Schedule. Section 10 provides for the distribution of property among heirs in Class I of the Schedule in the following terms:

"10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.—

The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules:—

Rule 1.— The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2.— The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3.— The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4.— The distribution of the share referred to in Rule 3—

(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters gets equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;

(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions."

In terms of Section 10, the division of property of an intestate among the heirs in Class - I is governed by the four Rules extracted above. They stipulate that

(i) the widow or if there is more than one all of them together shall take one share;

(ii) the surviving sons and daughters and mother shall each take one share; and

(iii) heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter take between them one share.

Class-I of the Schedule is in the following terms:

"Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a predeceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a predeceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a predeceased son of a pre-deceased son; [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a predeceased son]."

हिन्दु उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 की धारा 08 के अनुसार हिन्दु पुरूष की निर्वसियती मृत्यु हो जाने पर उसकी संपति में उसके पुत्र एवं पुत्रियों को विरासतीय अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 के साथ–साथ होना प्रमाणित पाया जाता है।

उपयुक्त क्रम में हम माननीय सर्वोच्यय न्यायालय के निम्नांकित दृष्टांतों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है जो हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के पक्ष को साबित करते हैः–

SUPREME COURT OF INDIA- Arunachala Gounder (Dead) By Lrs. – Appellant Versus Ponnusamy And Ors. – Respondent, Civil Appeal No. 6659 of 2011, Decided on : 20-01-2022

(A) Hindu Succession Act, 1956 – Sections 14 and 15 – Female Hindu succession – Right of a widow or daughter to inherit self-acquired property or share received in partition of a coparcenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under old customary Hindu Law but also by various judicial pronouncements – If a property of a male Hindu dying intestate is a self-acquired property or obtained in partition of a coparcenary or a family property, same would devolve by inheritance and not by survivorship and a daughter of such a male Hindu would be entitled to inherit such property in preference to other collaterals. (Para 66)

- इस आदेश में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टातों से जाहिर यह विधिक स्थिति प्रकट होती है कि इस प्रकरण में अपीलांट विक्रय पत्र के जरिये क्रय की गई भूमि के आधार अपने नाम नामान्तकरण की कार्यवाही चाहता है। विभिन्न न्यायालयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जब भी जरिये विक्रय पत्र क्रय के आधार पर कोई दाद चाहता है तो उस विक्रय पत्र की सत्यतता प्रमाणित करने का भार हमेंशा क्रेता का होता है क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल एक वित्तिय प्रोसेगिंग होती है, जिसमें किसी के हक व अधिकार तय नहीं होता है। विक्रय पत्र की प्रमाणिकता एवं सत्यतया साबित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर केवल सक्षम सिविल न्यायालय का है। इसके अतिरिक्त यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक वारिसान, जिसमें उक्तानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान को वरियता प्रदान की जानी है, के नाम नामन्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने से उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था।

- दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के विपरीत होने से इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

- उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहिन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 04.07.2022 यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर